भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1191
दिनांक 13 अगस्त, 2013

सोयाबीन संबंधी अनुसंधान

1191. श्री जगदीश ठाकोर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस तत्व की खोज करने के लिए सोयाबीन पर कोई अनुसंधान कराया है जो किसानों को सोयाबीन की खेती के तत्काल बाद अन्य फसल उगाने के लिए सहायक हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री तारिक अनवर)

(क) जी, हां।

(ख) विशिष्ट कृषि जलवायु स्थितियों में सोयाबीन और इसके बाद की फसलों की लाभकारी उपज सुनिश्चित करने के लिए सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय (डीएसआर), इन्दौर ने सोयाबीन आधारित लाभकारी सस्य प्रणालियों और एकीकृत पोषण प्रबंधन विधियों का विकास किया है। सोयाबीन की कटाई के बाद गेहूं, चना, सरसों आलू आदि फसलों में पोषक तत्वों की संस्तुत मात्रा का प्रयोग करके इन्हें सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है।

सोयाबीन एक फलीदार फसल है और फलियों को लम्बे समय से "मृदा निर्माण" फसलों के रूप में मान्यता और मान दिया जाता है। सोयाबीन वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करता है और मृदा में नाइट्रोजन जोडता है, मृदा में वायु प्रवाह तथा कार्बनिक पदार्थ के भंडारण को बढ़ाता है, मृदा की संरचना और मृदा की जल धारण क्षमता को सुधारता है और इसे जुताई के लिए आसान बनाता है और इस प्रकार मृदा स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति को बनाए रखता है। इसके अलावा बाद की फसल को उगाने के लिए कर्षण आवश्यकता कम से कम होती है जिससे अन्ततः कृषि की लागत में कमी आती है और समय पर बुवाई की संभावना बढ़ती है।

सोयाबीन–गेहूं और सोयाबीन–चना सस्य तंत्रों की प्रबंधन प्रणाली पर किये गये दीर्घकालिक फिक्सड प्लॉट परीक्षण (2004–2012) के परिणामों से यह पता चला है कि सोयाबीन, गेहूं चना और सस्य प्रणालियों की उत्पादकता दोनों फसलों में पोषक तत्वों के संस्तुत स्तर के प्रयोग के तहत वर्षों तक बरकरार रही। शुद्ध लाभ और लाभ–लागत अनुपात भी वर्षों से वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। विवरण **अनुबंध–I** में दिया गया है।

****

अनुबंध–I

[लोक सभा के दिनांक 13.08.2013 के अतारांकित प्रश्न सं0 1191 का भाग 'ख']

विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों के तहत सोयाबीन आधारित सस्य प्रणालियों की उत्पादकता एवं आर्थिकी पर विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों का प्रभाव

सोयाबीन – गेहूं सस्य प्रणाली

उपचार	सोयाबीन उपज (कि0/है0)		गेहूं उपज (कि0/है0)		सोयाबीन समतुल्य उपज (कि0/है0)		शुद्ध लाभ (रू0/है0)		लाभःलागत अनुपात	
	सीमा	औसत	सीमा	औसत	सीमा	औसत	सीमा	औसत	सीमा	औसत
जैविक (100%)	1802-2245	2045	2124-3607	2804	3444-6781	4360	14908-81536	50429	1.48-3.65	2.64
अजैविक (100%)	1588-2212	1991	2262-3321	2849	3572-6784	4305	15714-99840	53822	1.58-4.68	2.98
जैविक + अजैविक (50 +50%)	2383-1742	2090	2516-3721	3222	3854-7438	4718	16348-95101	58599	1.55-4.18	2.96

सोयाबीन चना – सस्य प्रणाली

उपचार	सोयाबीन उपज (कि0/है0)		चना उपज (कि0/है0)		सोयाबीन समतुल्य उपज (कि0/है0)		शुद्ध लाभ (रू0/है0)		लाभःलागत अनुपात	
	सीमा	औसत	सीमा	औसत	सीमा	औसत	सीमा	औसत	सीमा	औसत
जैविक (100%)	1617-2425	2031	991-2370	1388	3164-5883	3528	9192-53294	32733	1.30-2.72	2.06
अजैविक (100%)	1694-2449	2081	1016-2329	1374	3104-6288	3609	20230-67715	42965	1.89-4.09	2.96
जैविक + अजैविक (50 +50%)	1716-2532	2093	1194-2567	1574	3282-4941	3831	12084-67057	41600	1.85-3.46	2.52

****

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 389

दिनांक 06.08.2013/ 15 श्रावण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

जेल सुधारों संबंधी प्रस्ताव

389. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री जगदीश ठाकोर

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अपने संबंधित राज्यों में जेलों के आधुनिकीकरण और जेल सुधारों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गुजरात सहित राज्य-वार इस पर संघ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और
(ग) संघ सरकार ने जेलों में कैदियों की रहन-सहन संबंधी स्थितियों में सुधार के लिए क्या अन्य उपाय किए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन.सिंह)

(क) और (ख) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों कों जेलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराए जाने पर दिनांक 18 अप्रैल, 2013 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ हुए विस्तृत विचार-विमर्श के बाद चार बड़े क्षेत्रों अर्थात सुधारगृहों की क्षमता में वद्धि करने, कैदियों के रहन सहन के स्तर में सुधार करने, सुधार गृहों की पुनएर्कीकरण क्षमता में वद्धि करने तथा जेलों की सुरक्षा में सुधार करने जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए जेलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के दूसरे चारण के लिए विचार करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विशिष्ट प्रस्तावों की मांग की गई थी । उपर्युक्त विषय के संबंध में गुजरात सहित 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं, जबकि, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, दादरा एवं नगर हवेली, अडंमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप तथा दमण एवं दीव ने अब तक अपने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

.....2/-

(ग) : तेरहवें वित्त आयोग ने भी निम्नलिखित आठ राज्यों की जेलों के लिए 609 करोड़ रूपए आबंटित किए हैं, जो इस प्रकार हैं- आंध्र प्रदेश (90 करोड़ रूपए), अरूणाचल प्रदेश (10 करोड़ रूपए), छत्तीसगढ़ (150 करोड़ रूपए), केरल (154 करोड़ रूपए), महाराष्ट्र (60 करोड़ रूपए), मिजोरम(30 करोड़ रूपए), ओडिशा (100 करोड़ रूपए) एवं त्रिपुरा (15 करोड़ रूपए)। भारत सरकार ने भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न परामर्शी पत्र जारी किए हैं जिसमें दिनांक 17.7.2009 को जेल प्रशासन पर जारी व्यापक परामर्शी पत्र, दिनांक 13.08.2010 को अंतस्थ रूप से बीमार बंदियों/कैदियों के (टी आई पी) उपचार की नीति पर परामर्शी पत्र तथा दिनांक 15.6.2011 को जेल कैदियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम हेतु दिशानिर्देश संबंधी परामर्शी पत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जेलों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-क के इस्तेमाल पर दिनांक 17.01.2013 को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन विचाराधीन कैदियों, जिन्होंने अधिकतम सजा की एक-चौथाई से अधिक की अवधि पूरी कर ली हो, के मामलों को पुनरीक्षा समिति में उठाए जाने का अधिदेश दिया गया है।

****

भारत सरकार
कोयला मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 262

जिसका उत्तर 06 अगस्त, 2013 को दिया जाना है।

बिजली परियोजनाओं को कोयला आपूर्ति

262. श्री जगदीश ठाकोर :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान जुलाई 2012 तक शुरू किए गए बिजली संयंत्रों के साथ न तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही उन्हें कोयला आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे बिजली उत्पादन में अत्यधिक हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बिजली क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतिक प्रकाशबापू पाटील)

(क) तथा (ख) : जी, नहीं। विद्युत मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए विद्युत संयंत्रों जो 1.4.2009 से 31.03.2015 के बीच स्थापित किए गए हैं/ किए जाने की संभावना है, के लिए कोयले की आपूर्ति लगभग 78000 मेगावाट है, जिसे विद्युत स्टेशनों तथा कोयला कंपनियों के बीच द्विपक्षीय ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के अधीन कोल इंडिया लि. (सीआईएल) स्रोतों से किया जाना है। जहां कहीं एफएसए सम्पन्न नहीं हुए हैं, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार समझौता-ज्ञापन के उत्तम प्रयास के माध्यम से आपूर्तियां की जाती हैं। 31.3.2009 से पूर्व स्थापित तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए वार्षिक संविदा मात्रा (एसीक्यू) की 90% आपूर्ति और 31.3.2009 के बाद स्थापित तापीय विद्युत संयंत्रों को 80% की वार्षिक संविदा मात्रा (एसीक्यू) की आपूर्ति की सीआईएल ने गारण्टी दी है।

(ग) तथा (घ) : उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 488

उत्तर देने की तारीख: 07 अगस्त, 2013

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार

488. श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई) के तहत जिन युवाओं को स्वरोजगार दिया गया, उनकी राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इस संबंध में, वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत निर्धारित नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार की सिफारिश अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा स्वरोजगार के लिए जिन युवाओं की सिफारिश की गई है, की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री के. एच. मुनियप्पा)

(क)और(ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) को वर्ष 2008-09 से बंद कर दिया गया है और गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना कर स्व-रोजगार और वेतन रोजगार के सृजन के लिए वर्ष 2008-09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक नई क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के तहत राज्य-वार अनुमानित सृजित रोजगार का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

पीएमईजीपी के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत की मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्वोत्तर प्रदेश, पर्वतीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों आदि से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रू. और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रू. है। 18 वर्ष से अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति आय को ध्यान में रखे बिना सहायता पाने का पात्र है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रू. से अधिक और सेवा क्षेत्र में 5 लाख रू. से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लाभार्थियों के लिए कम से कम आठवीं कक्षा तक की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ऐसी इकाइयां जो पहले से भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर चुकी हैं, पात्र नहीं हैं। योजना के विस्तृत दिशानिर्देश वेबसाइट www.kvic.org.in पर उपलब्ध हैं।

(ग)और(घ) पीएमईजीपी का कार्यान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) के माध्यम से किया जाता है। केवीआईसी राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष एजेंसी है। सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के लिए वैयक्तिक परियोजना प्रस्तावों की जांच जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय कार्य बल समिति (डीटीएफसी) द्वारा की जाती है और संस्वीकृति के लिए उनकी सिफारिश बैंकों को की जाती है। राज्य सरकार से इस प्रकार की कोई विशिष्ट सिफारिश आवश्यक नहीं है।

****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 488, जिसका उत्तर 07.08.2013 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के तहत सृजित राज्य-वार रोजगार

क्रम सं0	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2010-11	2011-12	2012-13
1.	जम्मू एवं कश्मीर	15360	15360	17452
2.	हिमाचल प्रदेश	4781	4248	4508
3.	पंजाब	8234	4622	5109
4.	चंडीगढ़	302	144	239
5.	उत्तराखंड	8769	6942	8367
6.	हरियाणा	10508	7418	7416
7.	दिल्ली	1490	906	1288
8.	राजस्थान	24085	14955	19127
9.	उत्तर प्रदेश	45019	59901	45678
10.	बिहार	8316	35193	19106
11.	सिक्किम	321	253	256
12.	अरूणाचल प्रदेश	2320	1516	2660
13.	नागालैंड	1396	6545	5601
14.	मणिपुर	1691	3142	3541
15.	मिजोरम	3658	3404	4128
16.	त्रिपुरा	2583	16079	12172
17.	मेघालय	1609	3273	1936
18.	असम	38473	44205	26161
19.	पश्चिम बंगाल	56790	61092	52624
20.	झारखंड	15363	7116	11485
21.	उड़ीसा	25842	20905	37390
22.	छत्तीसगढ़	18213	10345	13734
23.	मध्य प्रदेश	17467	16256	26605
24.	गुजरात*	16483	18662	11095
25.	महाराष्ट्र**	36592	24661	18112
26.	आन्ध्र प्रदेश	53808	37336	17982
27.	कर्नाटक	14000	14971	7797
28.	गोवा	2456	2467	300
29.	लक्षद्वीप	84	25	0
30.	केरल	11375	9195	12396
31.	तमिलनाडु	31895	43473	32723
32.	पुदुचेरी	757	361	294
33.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	573	552	939
	कुल	**480613**	**495523**	**428221**

* दमन एवं दीव सहित

** दादर एवं नागर हवेली सहित .

भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 15

उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2013

14 श्रावण, 1935 (शक)

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई गतिविधियां

15. श्री जगदीश ठाकोर :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में खेलों के विकास और बढ़ावा देने के लिए कोई सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो मुक्केबाजी, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबाल और अन्य खेलों के विकास के लिए गुजरात में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री जितेन्द्र सिंह)

(क) जी, हां ।

(ख) गुजरात राज्य में भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. एसटीसी गांधीनगर (गुजरात) एथलेटिक्स खेल विधा सहित, बास्केटबाल, फुटबाल, हैंडबाल, हॉकी, कबड्डी, तैराकी, वालीबाल, कुश्ती ।
2. कबड्डी खेल विधा सहित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), गांधी नगर, गुजरात
3. एसटीसी/एसएजी केंद्रों के साई विस्तार केंद्र (गुजरात) ।

(i) केंद्रीय विद्यालय नं. 3, सूरत बैडमिंटन खेल विधा सहित ।

(ii) केजी एवं आरजी चौधरी हायर सेकेंडरी स्कूल, मानसा वालीबाल खेल विधा सहित ।

(ग) गुजरात में मुक्केबाजी और टेबलटेनिस खेल विधा के लिए साई का कोई केंद्र नहीं है । राज्य सरकारों से मांग, संसाधनों की उपलब्धता आदि सहित विभिन्न कारकों के आधार पर केंद्र खोले जाते हैं और खेल विधाओं का चुनाव किया जाता है ।

*****

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 52

05 अगस्त, 2013 को उत्तर के लिए

भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ

52. श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्रीमती अश्वमेध देवी :
प्रो0 सौगत राय :
डा0 पद्मसिंह बाजीराव पाटील:
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री यशवीर सिंह :
श्री ए0टी0 नाना पाटील :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
डॉ0 संजीव गणेश नाईक :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री बलीराम जाधव :
डॉ0 महेन्द्र सिंह पी0 चौहाण :
श्री उदय सिंह :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री रमेश बैस :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री अर्जुन मेघवाल :
श्री रामकिशुन :
श्री हर्ष वर्धन :
श्री पूर्णमासी राम :
श्रीमती सुप्रिया सुले :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री हंसराज गं0 अहीर :
श्री नीरज शेखर :

श्री पी0सी0 मोहन :

श्री जगदीश ठाकुर :

श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

श्री एस0एस0 रामासुब्बू :

श्री पी0 कुमार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु क्षेत्र का हाल ही में पड़ोसी देशों द्वारा उल्लंघन किया गया है :

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी रिपोर्ट है कि हाल ही में चीनी सेना ने लद्दाख के चुमार क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की है और कुछ बंकरों को नष्ट किया है और निगरानी कैमरों को साथ ले गए और यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चीनी सेना ने सीमा क्षेत्रों में भारतीय क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्य को बाधित/नष्ट किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ड़) उन भारतीय क्षेत्र स्थानों का ब्यौरा क्या है जो चीन के कब्जे में है और सरकार द्वारा इसे पुन: प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्री (श्री ए.के.अन्टनी)

(क) से (ड.): गत तीन वर्षों के दौरान, जनवरी, 2010 से जुलाई, 2013 तक अन्य देशों द्वारा भारतीय वायु सीमा के कुल 28 उल्लंघनों की रिपोर्ट मिली है । ऐसे सभी मामलों को स्थापित पद्धति के अनुसार निर्धारित चैनलों के मार्फत संबंधित देशों के साथ उठाया जाता है। भारत और चीन के मध्य कोई साझी सीमांकित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) नहीं है । सीमा के साथ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में भारत और चीन की अवधारणाएं अलग-अलग हैं । दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा की अपनी संबंधित

अवधारणाओं तक गश्त लगाते हैं । वास्तविक नियंत्रण रेखा की अवधारणा में मतभेदों के कारण इस जमीन पर कुछ घुसपैठ की घटनाएं होती रहती हैं । सरकार घुसपैठ की ऐसी घटना को स्थापित तंत्रों के जरिए नियमित रूप से चीन के साथ उठाती है । सरकार समय-समय पर खतरे की अवधारणा की पुनरीक्षा करके भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा की संरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करती है और खतरों का सामना करने के लिए समुचित कदम उठाती है । सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के मध्य घनिष्ठ समन्वय के जरिए किया जाता है ।

जम्मू और कश्मीर में चीन के कब्जे में भारतीय क्षेत्र लगभग 38,000 वर्ग कि0मी0 है। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगभग 5,180 वर्ग कि0मी0 भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तान ने अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित किया है । भारत और चीन ने सीमा विवाद के निपटान की रूपरेखा तय करने के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं ।

*****